रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 16—अप्रैल 22, 2017, शनिवार/चैत्र 26—वैशाख 2, 1939

No. 15] NEW DELHI, APRIL 16—APRIL 22, 2017, SATURDAY/CHAITRA 26—VAISAKHA 2, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और, सशस्त्र सीमा बल, ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल, ड्राइवर (विशेष श्रेणी) गैर योधक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 में,–

(I) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

2333 GI/2017

"2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(II) अनुसूची में,–

(क) स्तंभ (4) के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :–

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर"

(ख) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

स्तर – "6" ;

(ग) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टियों में ,–

(क) " वेतन बैंड –1, 5200–20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रुपए" शब्दों और अंको के स्थान पर " वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 5" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) टिप्पण 3, का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 3/4/एसएसबी/सीएससी/एरिया/ जीपी 'बी'/2016/एसएफएस]

आर.बी.एस. नेगी, उप सचिव (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां.का.नि. 444(अ), तारीख 14 जून, 2012. द्वारा प्रकाशित किये गये थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th April, 2017

G.S.R. 121.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Sashastra Seema Bal, Driver (Special Grade) Non-Combatised Group 'B' post Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal, Driver (Special Grade) Non-Combatised Group 'B' post Recruitment (Amendment) Rules 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sashastra Seema Bal, Driver (Special Grade) Non-Combatised Group 'B' post Recruitment Rules, 2012,-

(I) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

" 2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix .**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached to these rules",.

(II) in the schedule,-

(a) for the heading to column (4), the following heading shall be substituted, namely:-

" Level in the pay matrix";

(b) for the entries under column(4) the following entry shall be substituted, namely:-

" Level 6";

	eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government; (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service in the level rendered after appointment their to on regular basis in the level-3 (Rs. 21700-69100/-) or equivalent in the parent cadre/ department; **Note 1:** Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation, Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		

[F. No. A-12018/15/2015-EPI]
B.L. MEENA, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 136.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर [प्रयोगात्मक चीनी कारखाना (समूह 'ग' तथा 'घ' पद)] भर्ती नियम, 2004, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर में

फिटर 'ग', बिजली मिस्त्री, टर्नर, मोल्डर और वेल्डर के पदों पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. -** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .-** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. फिटर 'ग'	10*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनतुसचिवीय	स्तर 2

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 10वीं

	अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों कि दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर व्यवसाय में प्रमाण पत्र।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा और (ii) 66.67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे फिटर समूह 'घ' जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु वह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक और पात्रता सेवा के आधे से अधिक	**समूह 'ग' प्रोन्नति और पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष 2. किसी भी संकाय के सहायक आचार्य, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ	लागू नहीं होता।

अवधि या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं तथा जिन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली हो, के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. बिजली मिस्त्री	04*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 2

(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों कि दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलैक्ट्रिशियन व्यवसाय में प्रमाण- पत्र।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे विद्युत मोटर ड्राइवर अथवा मोटर पम्प ड्राइवर जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और विद्युत कार्य का ज्ञान हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु वह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक और पात्रता सेवा के आधे से अधिक अवधि या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं तथा जिन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली हो, के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ग' प्रोन्नति और पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-** 1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष 2. किसी भी संकाय के सहायक आचार्य, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. वेल्डर	02*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 2

(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वेल्डिंग व्यवसाय में प्रमाण-पत्र ।

	टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों कि दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष 2. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. मोल्डर	01*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 2

(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, विभागीय अभ्यर्थियों के लिए समान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोल्डिंग में व्यवसाय प्रमाण-पत्र और मोल्डर के रूप में फाउंडरी में तीन वर्ष का अनुभव।

	टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों कि दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(1) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा; और (2) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे लोहार जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास मोल्डिंग का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अवधि या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम नहीं और जिन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	प्रोन्नति और पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष 2. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
5. टर्नर	03*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 2

(5)	(6)	(7)
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या

	अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों कि दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	केंद्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय में प्रमाण-पत्र।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**प्रोन्नति और पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष 2. सहायक आचार्य, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/16/2016-एस ए]

राजीव महेन्द्रू, उप सचिव

Molder Fitter Electrician, Turner, Welder
ESF

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 11th April, 2017

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur [Experimental Sugar Factory (Group 'C' and 'D' posts)] Recruitment Rules, 2004, insofar as they relate to the posts of Fitter 'C', Electrician, Turner, Moulder and Welder, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Fitter 'C', Electrician, Turner, Moulder and Welder, in the National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement. – (1)** These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.–** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Fitter 'C'	10* (2017) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	(i) 10th standard pass from a recognised school or Board; and (ii) Fitter trade certificate from Industrial Training Institute or the Central Industrial Training Institute.

	Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of post filled through Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall be the closing date by which the Employment Exchanges are asked to submit names.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits.	(i) 33.33% by promotion, failing which by direct recruitment and (ii) 66.67% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Fitter Group 'D' with three years regular service in the grade. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation consisting of:-** 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman 2. Assistant Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur. - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Electrician	04* (2017) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of post filled through Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall be the closing date by which the Employment Exchanges are asked to submit names.	(i) 10th standard pass from a recognised school or Board; and (ii) trade certificate in Electrician from Industrial Training Institute or the Central Industrial Training Institute.

(8)	(9)	(10)
No	Two years for direct recruits.	(i) 50% by promotion, failing which by direct recruitment; and (ii) 50% by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Electric Motor Driver or Motor Pump Driver with three years' regular service in the grade and possessing knowledge of electrical work. **Note:-** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation considering of:-** 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman 2. Assistant Professor National Sugar Institute, Kanpur - Member 3 Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur. - Member	Not applicable.

such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.		

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Welder	02* (2017) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of post filled through Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall be the closing date by which the Employment Exchanges are asked to submit names.	(i) 10th standard pass from a recognised school or Board; and (ii) trade certificate in Welding from Industrial Training Institute or the Central Industrial Training.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Promotion Committee (for confirmation), consisting of:-** 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman	Not applicable.

	2. Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3 Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur. - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Moulder	01* (2017) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of post filled through Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall be the closing date by which the Employment Exchanges are asked to submit names.	(i) 10th standard pass from a recognised school or Board. (ii) Trade certificate in Moulding from industrial Training Institute or the Central Industrial Training Institute with three years' work experience in foundry as Moulder.

(8)	(9)	(10)
No	Two years for direct recruits.	(i) 50% by promotion, failing which by direct recruitment; and (ii) 50% by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Blacksmiths with three years' regular service in the grade and possessing experience of moulding. **Note 1:-** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and	**Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation, consisting of:-** 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman 2. Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur. - Member	Not applicable.

have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Turner	03* (2017) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of post filled through Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall be the closing date by which the Employment Exchanges are asked to submit names.	(i) 10th standard pass from a recognised school or Board; and (ii) trade certificate from Industrial Training Institute or the Central Industrial Training Institute.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation, consisting of:- 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Chairman 2. Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur - Member 3. Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur. -Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/16/2016-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.